मानव व्यापार कानुनी संघर्व टूलकिट

बंधुवा श्रम हस्तछेपों की SOP

अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधि

अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियों का सारांश

चरण: १
चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

चरण: २
पीड़ितों को सुरक्षित अभिरक्षा में पहुँचाना

चरण: ३
परामर्श सेवाओं तक पहुँचना सुगम बनाना

चरण: ४
गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा करना

चरण: ५
पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करना

चरण: ६
अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को वापस घर पहुँचाना या उनका पुनर्वास करना

चरण: ७
सरकारी पात्रताओं तक पहुँचना सुगम बनाना

चरण: ८
निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना

चरण: ९
पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

चरण 1 चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

समयसीमा: हस्तक्षेप किए जाने से 24 घंटों के भीतर बुनियादी चिकित्सीय देखभाल और स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए; अस्थीभवन परीक्षण (बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट) बचाव से एक सप्ताह के भीतर करवाया जा सकता है।

NGO	अधिवक्ता
NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच हो और उन्हें जो भी चिकित्सीय देखभाल चाहिए हो वह उन्हें मिले।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार पीड़ितों के निजता के अधिकार और अन्य अधिकारों का सम्मान करते हुए चिकित्सीय जाँच की जाए और अविलंब देखभाल प्रदान की जाए।

व्याख्या

NGO को मैजिस्ट्रेट से यह करने का अनुरोध करना चाहिए: • किसी अस्पताल में आयु-सत्यापन, चिकित्सीय जाँच, HIV परीक्षण (केवल पीड़ित की सूचित सहमति के साथ ही किया जाए, जिसमें परीक्षण से पहले और बाद में परामर्श शामिल है), और STI परीक्षण किए जाने का आदेश करें। मैजिस्ट्रेट से यौन दुर्व्यवहार परीक्षणों का आदेश देने का अनुरोध करें। • देखभाल कर्मियों को चिकित्सीय जाँच के लिए पीड़ितों के साथ जाने की अनुमति दें। • पुलिस की मदद से सभी पीड़ितों का सामान लाने का आदेश दें, NGO कर्मी पुलिस के साथ जाएँ। • NGO को पीड़ितों को सर्वोत्तम संभव देखभाल गृह में रखने का सुझाव भी देना चाहिए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चिकित्सीय जाँच CrPC की धारा 53(2) में आवश्यक किए गए अनुसार किसी महिला चिकित्सक द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में ही की जाए। अधिवक्ता मैजिस्ट्रेट से बचाए गए पीड़ितों हेतु NGO द्वारा गृह जाँच किए जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध भी कर सकता है।

सस्मरणीय बिंदु

चिकित्सीय जाँचें बचाव प्रक्रिया पूरी हो जाने और पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए जाने के बाद मैजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करके की जाती हैं। NGO देखभालकर्मी बचाए गए पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच के लिए एक महिला पुलिस हवलदार को साथ लेकर पीड़ितों को अपनी सुरक्षा में अस्पताल पहुँचाएँगे और फिर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उन्हें अपनी सुरक्षा में आश्रय गृह पहुँचाएँगे। चिकित्सीय जाँच करने से पहले पीड़ित की सूचित सहमति ली जानी चाहिए।

महिला चिकित्सक न हो तो क्या करें: महिला चिकित्सक की अनुपस्थिति में, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चिकित्सीय जाँच के दौरान कोई महिला अधिकारी या NGO की कोई महिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए व्यक्तियों के साथ गरिमापूर्वक व्यवहार किया जाए।

आयु सत्यापन परीक्षण: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु सत्यापन परीक्षण, स्थापित वैज्ञानिक विधियों के अनुसार किया जाए। बचाया गया व्यक्ति वयस्क है, अवयस्क है, या बच्चा है, यह निर्धारित करने के लिए अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 15(5A) के तहत आयु सत्यापन परीक्षण अनिवार्य है। यदि पीड़ित की सत्यापित आयु 17-18 वर्ष या कम हो, तो मैजिस्ट्रेट/ सरकारी अभियोजक को याद दिलाएँ कि मैजिस्ट्रेट का पीड़ित पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और यह कि पीड़ित को बाल कल्याण समिति के पास पहुँचाया जाना चाहिए। JJA 2015 की धारा 94 के तहत, यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के तहत (साक्ष्य देने के प्रयोजन को छोड़कर) CWC के सामने पेश किए गए व्यक्ति की दिखावट के आधार पर CWC को इस बारे में कोई संशय न हो कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो CWC उक्त अवलोकन रिकॉर्ड करेगी, उसमें, जितनी शुद्धता से निर्धारित हो पाए उतनी शुद्धता से, बच्चे की आयु का उल्लेख करेगी, और आयु की किसी भी अन्य पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना धारा 36 के तहत जाँच (देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे पर जाँच) के साथ आगे बढ़ेगी। यदि CWC को उसके सामने पेश किए गए व्यक्ति की आयु को लेकर संशय हो, तो वह निम्नलिखित प्राप्त करने के द्वारा साक्ष्य हासिल करके व्यक्ति की आयु निर्धारित करने का प्रयास करेगी:

- स्कूल से मिला जन्म दिनांक प्रमाणपत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मिला मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और यदि उपलब्ध न हो तो;
- नगरपालिका/नगर निगम/नगरपालिका परिषद या पंचायत से मिला जन्म प्रमाणपत्र; या

- i. और ii. की अनुपस्थिति में, CWC के आदेश पर अस्थीभवन परीक्षण (ऑसिफ़िकेशन टेस्ट) या कोई भी अन्य चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण किया जा सकता है, बशर्ते उसे उक्त आदेश पारित होने से 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाए।

JJA की धारा 94 यह भी कहती है कि CWC द्वारा दर्ज की गई आयु बच्चे की वास्तविक आयु मानी जाएगी। मैजिस्ट्रेट से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करें कि कौनसी CWC मामले को संभालेगी। यदि NGO को पहले से पता हो कि पीड़ित अवयस्क है, तो अधिवक्ता को सूचित करें ताकि वह रिमांड सुनवाई में भाग ले।

चरण 2 पीड़ितों को सुरक्षित अभिरक्षा में पहुँचाना

समयसीमा: पीड़ितों को जल्द-से-जल्द, पर 24 घंटों के भीतर, सुरक्षित अभिरक्षा में पहुँचा देना चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को सुरक्षित ढंग से किसी सुरक्षात्मक आश्रय गृह पहुँचाया जाए।	पीड़ित को सुरक्षित ढंग से किसी सुरक्षात्मक आश्रय गृह पहुँचाया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता को सरकारी प्राधिकरणों के समक्ष पीड़ित और NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए।
व्याख्या	
जब भी पीड़ित मैजिस्ट्रेट या CWC से मिलने के लिए गृह से निकले तो देखभाल कर्मियों को उसके साथ जाना चाहिए।	अधिवक्ता को समाजसेवी से तालमेल करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को किसी आश्रय गृह में सुरक्षित ढंग से रखा जाए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए बच्चे को CWC के सामने पेश किया जाए। यदि पीड़ित की आयु तय न हो पा रही हो तो अधिवक्ता को यह तय करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए कि पीड़ित को CWC के सामने पेश किया जाए या नहीं। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वयस्क पीड़ितों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।

सस्मरणीय बिंदु

जब संशय हो कि बचाया गया व्यक्ति अवयस्क है या नहीं: यदि संशय हो तो पीड़ित को अवयस्क मानना चाहिए। पीड़ित की अस्थीभवन परीक्षण (बोन ऑसिफ़िकेशन टेस्ट) नामक चिकित्सा जाँच की जाती है जिसके आधार पर चिकित्सक तय करते हैं कि वह वयस्क है या अवयस्क। आयु तय करने के लिए बच्चे को CWC भेजें। CWC द्वारा आयु तय किए जाने संबंधी दिशानिर्देशों के लिे JJA 2015 की धारा 94 देखें।

सामान्य दिशानिर्देश:

- मैजिस्ट्रेट से पेशेवर मेलजोल बढ़ाने और, पीड़ित के साथ मेलजोल बढ़ाने तथा उसे मैजिस्ट्रेट के सामने सच बोलने को सशक्त बनाने के बीच निकट संबंध होता है।
- देखभाल कर्मियों को सभी पीड़ितों के लिए गृह जाँच करने की अनुमति भी माँगनी चाहिए।
- **पीड़ित को सशक्त बनाना:** मैजिस्ट्रेट चाहे जो भी निर्णय लें, वह पीड़ित और उसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए, पीड़ित द्वारा मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी सूचित इच्छा का प्रकटन सर्वोपरि महत्व रखता है। देखभाल कर्मियों की यह भूमिका है कि वे पीड़ित को रिमांड प्रक्रिया के बारे में बताएँ और मनोसामाजिक परामर्श दें ताकि वह सोच-समझकर निर्णय ले सके और मैजिस्ट्रेट को अपना निर्णय बता सके।
- **आवश्यक समयसीमाओं का पालन करें:** मैजिस्ट्रेट, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, पीड़ित को तीन सप्ताह से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकते हैं। इसलिए, मैजिस्ट्रेट को बचाव से तीन सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेना ही होता है।[107]

[107] अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम), 1956, धारा 17(3)।

चरण 3 परामर्श सेवाओं तक पहुँचना सुगम बनाना

समयसीमा: परामर्श सेवाएँ 48 घंटों के भीतर प्रदान कर देनी चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को, संबंधित अधिकारी से उचित अनुमति लेने के बाद, पीड़ित के उबरने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए उसे प्रशिक्षित और अर्ह महिला परामर्शदाताओं तक की पहुँच प्रदान करनी चाहिए।	अधिवक्ता को पीड़ित के परामर्श के अधिकार और अन्य देखभाल सेवाओं के अधिकार के बारे में पीड़ित और NGO को बताना चाहिए।
व्याख्या	
बचाए गए पीड़ित को सुरक्षात्मक गृह में प्रवेश दिला दिए जाने पर, देखभाल दल को पीड़ित से मुलाक़ात करनी चाहिए (प्रवेश से 24-48 घंटों के भीतर मुलाक़ात कर लेना बेहतर है)। देखभाल सहायता प्रदान करने से पहले परामर्शदाताओं को आश्रय गृह से आधिकारिक अनुमति ले लेनी चाहिए। परामर्शदाताओं को किसी आपातकालीन आवश्यकता की स्थिति में तुरंत उपलब्ध भी होना चाहिए। पुरुष परामर्श-दाताओं द्वारा परामर्श सेवाएँ प्रदान किए जाने पर कड़ी रोक होनी चाहिए। परामर्शदाताओं को हर पीड़ित के लिए उसकी परिस्थिति के अनुसार अलग परामर्श योजना तैयार करनी चाहिए। परामर्शदाताओं और समाजसेवियों/केस प्रबंधकों को परामर्श और मनोसामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए देखभाल गृहों में नियमित रूप से जाकर पीड़ित से मुलाक़ात करनी चाहिए। केस प्रबंधकों को हर पीड़ित के लिए उपचार और रिकवरी सहयोग योजनाएँ तैयार करके उन्हें आश्रय गृह के कर्मियों को देना चाहिए। केस प्रबंधक समाज की मुख्यधारा में पीड़ितों के प्रवेश के लिए या उन्हें उनके गृह राज्यों में वापस पहुँचाने के लिए उन्हें तैयार करने के उद्देश्य से शैक्षिक, व्यावसायिक और परामर्श सेवाओं तक पहुँचने में उनकी मदद के लिए ऐसी सेवाएँ देने वाले संगठनों से अपने संपर्कों का उपयोग करेंगे। केस प्रबंधक पीड़ितों के गृह राज्यों में उनके आश्रय गृहों में उनकी देखभाल की निरंतरता के लिए उनके गृह राज्यों में मौजूद NGO से भी संपर्क बनाएँगे।	अधिवक्ता को समाजसेवी से तालमेल करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को किसी आश्रय गृह में सुरक्षित ढंग से रखा जाए। अधिवक्ता को हर पीड़ित के लिए अलग उपचार योजना तैयार करने हेतु NGO के केस प्रबंधकों/समाजसेवियों के साथ निकट सहयोग से कार्य करना चाहिए। ये उपचार योजनाएँ मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जानी चाहिए ताकि उक्त योजनाओं की स्वीकृति के आदेश जारी करवाए जा सकें। NGO को बचाए गए पीड़ित की प्रगति के बारे में न्याया-लय को नियमित रूप से जानकारी देनी चाहिए।

चरण 4 गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा करना

समयसीमा: गृह सत्यापन रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर जमा कर देनी चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को पीड़ित के परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित विवरणों के सत्यापन के बाद एक भली-भाँति दस्तावेज़ीकृत गृह सत्यापन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।	अधिवक्ता को यह अनुरोध करना चाहिए कि CWC/ मैजिस्ट्रेट गृह सत्यापन रिपोर्ट का आदेश दें और गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा होने से पहले पीड़ितों को किसी की भी अभिरक्षा में सौंपने का विरोध करें।

व्याख्या

बचाए गए व्यक्ति को संरक्षात्मक अभिरक्षा में पहुँचाए जाने से 48 घंटों के भीतर NGO को पीड़ित से मिलने के लिए एक दल भेजना चाहिए और ऐसे तथ्यों का पता लगाना चाहिए जिनसे वे सामाजिक जाँच रिपोर्ट तैयार कर सकें।

गृह सत्यापन रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्य होने चाहिए।

a. परिवार का विवरण
b. पीड़ित कितने समय से लापता है
c. पीड़ित से अंतिम बार कब संपर्क हुआ था
d. मानव व्यापारी के विवरण, यदि परिवार को पता हों
e. परिवार द्वारा पीड़ित का पता लगाने के लिए किए गए उपाय / स्थानीय पुलिस स्टेशन में जो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो वह
f. यह अनुशंसा कि यदि पीड़ित को वापस उसके परिवार को सौंपा जाता है तो परिवार उसकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है या नहीं।
g. यह सिद्ध करने वाले दस्तावेज़ कि ढूँढे गया परिवार ही पीड़ित के जैविक माता-पिता हैं।

गृह सत्यापन रिपोर्ट बचाव के समय से 72 घंटों के भीतर शुरू कर दी जानी चाहिए और बचाव के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर गृह सत्यापन रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी जानी चाहिए।

अवैध यौन व्यापार से बचाए जा रहे पीड़ित का विवरण, पीड़ित को कलंक/लांछन से बचाने के लिए, परिवार के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता है।

NGO के देखभाल कर्मियों की भूमिका यह है कि वे गृह जाँच संचालित करें, अनुशंसाएँ लिखें और स्थिति-अनुसार मैजिस्ट्रेट और/या CWC के सामने रिपोर्ट पेश करें। ऐसा करने के लिए, देखभाल कर्मियों को सभी संबंधित पक्षों के साथ कार्य करना होता है, जैसे पीड़ित, पीड़ित का परिवार, और परिवीक्षा अधिकारी। देखभाल कर्मी को गृह सत्यापन प्रक्रिया के संचालन में किसी भागीदार संगठन के साथ तालमेल भी करना पड़ सकता है।

अधिवक्ता को संबंधित अधिकारियों से JJA की धाराओं 31 और 36 के तहत सामाजिक जाँच करवाने का अनुरोध करना चाहिए। अधिवक्ता को, गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा होने से पहले, बचाए गए किसी भी व्यक्ति को किसी को भी (माता-पिता और रिश्तेदार शामिल) सौंपे जाने का विरोध करना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

NGO मैजिस्ट्रेट से गृह अध्ययन के संचालन की अनुमति माँग सकता है: जब मैजिस्ट्रेट गृह अध्ययन रिपोर्ट का आदेश दें तब NGO मैजिस्ट्रेट से पीड़ित के लिए गृह सत्यापन रिपोर्ट संचालित करने की अनुमति माँग सकता है। NGO को पीड़ित के परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित विवरणों के सत्यापन के बाद एक भली-भाँति दस्तावेज़ीकृत गृह सत्यापन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा करने की समयरेखा: गृह जाँच रिपोर्ट बचाव अभियान से 21 दिनों के भीतर जमा कर देनी चाहिए।[108] यदि पीड़ित वयस्क है और वह आश्रय गृह में रिकवरी सहायता का विकल्प चुनता है, तो मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट पूरी करने के लिए NGO को अधिक समय दे सकते हैं। यदि पीड़ित अवयस्क है, तो सामाजिक जाँच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पूरी करनी आवश्यक है, और CWC के लिए यह आवश्यक है कि वह उसके सामने बच्चे को पहली बार पेश किए जाने के समय से चार माह के भीतर अंतिम आदेश जारी कर दे। अधिक जानकारी के लिए JJA की धारा 36 देखें।

गृह सत्यापन रिपोर्ट/सामाजिक जाँच रिपोर्ट का लक्ष्य: गृह सत्यापन रिपोर्ट/सामाजिक जाँच रिपोर्ट का लक्ष्य पीड़ित के परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठी करके यह अनुशंसा करना है कि परिवार अपनी बेटी या अपने बेटे की देखभाल के लिए उपयुक्त है या नहीं। रिपोर्ट में परिवार की इच्छा और पीड़ित की इच्छा प्रस्तुत की जाती है। इसके आधार पर, NGO रिहाई या सुरक्षात्मक अभिरक्षा के लिए अपनी अनुशंसाएँ मैजिस्ट्रेट और/या CWC को देता है।
रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर: यह सुनिश्चित करना अच्छा रहता है कि देखभाल की अनुशंसाएँ निम्नलिखित पर आधारित हों: (1) पीड़ित की सूचित इच्छा, (2) परिवार की इच्छा, (3) NGO द्वारा मानव व्यापार में परिवार की संलिप्तता का और घर के माहौल का पेशेवर आकलन, और (4) सर्वोत्तम रिकवरी प्रक्रिया के लिए परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सुझाए गए विकल्प।

सामान्य अनुशंसाएँ:

- यदि परिवार अपनी बेटी/बहू को या पति अपनी पत्नी को स्वीकारने को तैयार हो और गृह सत्यापन रिपोर्ट में रिहाई की अनुशंसा की गई हो, तो देखभाल गृह में समय बिताने की कोई अनुशंसा न करें।
- सामान्य तौर पर, देखभाल संगठन को यह अनुशंसा करनी चाहिए कि मैजिस्ट्रेट और/या CWC पीड़ितों को उनके बच्चों के साथ फिर से एक कर दें, चाहे उन्हें रिहा किया जा रहा हो या सुरक्षात्मक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हो।
- यह तथ्य कि पीड़ित अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए काम करने पर मजबूर है, सुरक्षात्मक अभिरक्षा की अनुशंसा के लिए पर्याप्त नहीं है।
- गृह सत्यापन रिपोर्ट में परिवार की वित्तीय स्थिति, या पारिवारिक तनाव के कारणों (जैसे, पदार्थ दुरुपयोग) के आधार पर सुरक्षात्मक अभिरक्षा की अनुशंसा नहीं की जानी चाहिए। यदि परिवार पीड़ित को स्वीकारने को तैयार है और पीड़ित परिवार में लौटना चाहता है तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि मैजिस्ट्रेट पीछे बताए गए आधारों पर विचार करेंगे।

रिहाई की अनुशंसाएँ निम्नलिखित पर आधारित होनी चाहिए:

- पीड़ित की अपने परिवार के पास/पति के पास/ लौटने या स्वतंत्र रूप से रहने की इच्छा
- परिवार द्वारा अपनी बेटी/बहू या पति द्वारा अपनी पत्नी को वापस घर में स्वीकारने की इच्छा।
- पीड़ित का अपने बच्चों के साथ फिर से रह पाने में समर्थ होना।
- परिवार/पति का मानव व्यापार में संलिप्त न होना या पीड़ित की वेश्यावृत्ति में संलिप्तता से लाभ न कमाया होना।
- परिवार/पति का अपनी बेटी/बहू/पत्नी की देखभाल और संरक्षण में समर्थ होना।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

गृह सत्यापन अध्ययन कैसे संचालित करें और रिपोर्ट कैसे जमा करें: गृह जाँच रिपोर्ट के नमूने के लिए **परिशिष्ट 29** देखें।

[108] अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, धारा 17(3)।

चरण 5 पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करना

समयसीमा: पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में एक से तीन माह लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को क्षतिपूर्ति के आवेदन दायर करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए और जब पीड़ितों को उपयुक्त मंचों के समक्ष उपस्थित होने को बुलाया जाए तो उनके साथ जाना चाहिए।	अधिवक्ता को उपयुक्त मंच के समक्ष पीड़ित की ओर से क्षतिपूर्ति के आवेदन दायर करने चाहिए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षतिपूर्ति जल्द-से-जल्द दे दी जाए और अधिवक्ता को किसी भी आवेदन के लिए जो भी जानकारी चाहिए वह उन्हें अधिवक्ता को देनी चाहिए।	अधिवक्ता को राज्य और केंद्र सरकार के स्तरों पर पीड़ित क्षतिपूर्ति के क़ानूनों से परिचित होना चाहिए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे आवेदन जल्द-से-जल्द किए जाएँ और क्षतिपूर्ति जल्द-से-जल्द मिले।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में जानने के लिए अध्याय 6 देखें।

अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय विधि (केस क़ानून): बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य[109] बचाए गए यौन कर्मियों के पुनर्वास और उनकी क्षतिपूर्ति से संबंधित एक निर्णय है। निर्णय का पाठ्य यहाँ पढ़ा जा सकता है।

पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाएँ: ऐसी कई योजनाएँ हैं जिनके तहत अवैध यौन व्यापार के पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- **उज्ज्वला:** उज्ज्वला अवैध यौन व्यापार रोकने और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण की एक व्यापक योजना है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालयय के तहत 2007 में शुरू किया गया था और कई NGO ने इसे कार्यान्वित किया है। यह योजना "बुनियादी सुविधाएँ/जरूरतें जैसे आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सीय उपचार जिनमें परामर्श शामिल है, कानूनी सहायता व मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के द्वारा पीड़ितों को तात्कालिक और दीर्घकालिक, दोनों प्रकार की पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने" का प्रयास करती है। यह योजना पीड़ितों को अपने परिवारों में बहाल किए जाने के दौरान मार्ग में आने वाली यात्रा लागतों की पूर्ति के लिए वित्तपोषण भी देती है और हर पीड़ित को "प्रारंभिक धन" के रूप में ₹5,000.00 की राशि भी देती है। 2013 में उज्ज्वला योजना के तहत 116 नई परियोजनाएँ विचाराधीन ली गई थीं और उनमें से 63 परियोजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं। इस अवधि में ₹14.97 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है। जिन राज्यों में उज्ज्वला योजना स्वीकृत हो चुकी है उनके बारे में और जानकारी के लिए यह वेबसाइट देखें: https://wcd.nic.in/schemes/ujjawala-comprehensive- scheme-prevention-trafficking-and-rescue-rehabilitation-and-re.
- **स्वाधार गृह:** यह योजना कठिन परिस्थितियों में फँसी महिलाओं के लिए है जिसे वर्ष 2001-2002 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आरंभ किया गया है। स्वाधार गृह योजना "परिवार में अनबन, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हो चुकीं या वेश्यावृत्ति में जबरन धकेले जाने के कारण नैतिक ख़तरे में पड़ चुकीं महिलाओं और लड़कियों को अस्थायी आवास, रखरखाव और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने" के लिए बनाई गई है। स्वाधार गृह योजना की लाभार्थियों में अवैध यौन व्यापार/मानव व्यापार की पीड़ित वे महिलाएँ/लड़कियाँ शामिल हैं जिन्हें वेश्यालयों से या उनके शोषण के अन्य स्थानों से बचाया गया था या वे वहाँ से भाग निकली थीं।
- **NALSA की वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना:** इस योजना के बारे में जानकारी उनकी वेबसाइट पर है: https://nalsa.gov.in/sites/default/files/document/VC_SCHEME.pdf.

[109] *Supreme Court, Criminal Appeal No. 135 of 2010, [2011] 10 S.C.R. 577.*

- **बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना 2016:**[110] इस योजना के खंड 5(iv) के तहत, वंचित रखे या हाशिये पर धकेले जाने की चरम स्थितियों वाले बंधुआ या बलात् श्रम के मामलों में, जैसे वेश्यालय, मसाज पार्लर, प्लेसमेंट एजेंसी आदि तथाकथित यौन शोषण से बचाए गए ट्रांसजेंडर या महिलाएँ या बच्चे, मानव व्यापार के मामलों में, दिव्यांगजनों के मामले में, या जहाँ ज़िलाधिकारी उचित समझें उन अन्य परिस्थितियों में, हर लाभार्थी के लिए पुनर्वास सहायता ₹3 लाख होगी, जिसमें से कम-से-कम ₹2 लाख लाभार्थी के नाम पर किसी वार्षिकी योजना में जमा किए जाएँगे और ₹1 लाख ECS के ज़रिए लाभार्थी के खाते में भेजे जाएँगे।

चरण 6 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को वापस घर पहुँचाना या उनका पुनर्वास करना

समयसीमा: अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को वापस घर पहुँचाने या उनका पुनर्वास करने की प्रक्रिया में छः माह से एक वर्ष तक लग सकता है।

NGO	अधिवक्ता
NGO को पीड़ितों की सुरक्षित घर वापसी में सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को पीड़ित की घर वापसी से जुड़े क़ानूनी मामलों के बारे में पीड़ित और NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए।

व्याख्या

सामाजिक स्वीकार्यता और परिवार का सहयोग सुनिश्चित किए बिना किसी भी बचाए गए पीड़ित को वापस उसके परिवार के पास नहीं भेजना चाहिए ताकि दोबारा मानव व्यापार और शोषण से बचा जा सके। यदि कोई परिवार पीड़ित को देखभाल और सुरक्षा देने में अक्षम है तो CWC/न्यायिक दंडाधिकारी (ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट) परामर्श, शिक्षण, और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अतिरिक्त पुनर्वास के लिए सुरक्षात्मक गृह में ठहराव की अवधि बढ़ाने का आदेश दे सकते हैं। NGO संबंधित देखभाल गृह को सभी ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठे करने में और सरकार पर प्रक्रिया का फ़ॉलो-अप करने का दबाव डालने में मदद देकर इस प्रशासनिक प्रक्रिया में सहायता कर सकता है।	अधिवक्ता को किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं 31 और 38 के तहत पीड़ित की संपूर्ण घर वापसी/पुनः एकीकरण के लिए सभी ज़रूरी आवेदन तैयार करने चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

सीमापार/अंतरराज्यीय अवैध व्यापार: सीमापार या अंतरराज्यीय मानव व्यापार के मामले में, देशों के हितधारकों और NGO को बचाए गए पीड़ितों को तुरंत उनके मूल देश वापस भेजने के प्रभावी उपाय करने चाहिए।

नेपाल या बांग्लादेश को वापसी: नेपाल या बांग्लादेश को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए:

1. सबसे पहले, नेपाल और बांग्लादेश के वाणिज्य महादूत (कौंसल जनरल) से मुलाक़ात करें। NGO प्रतिनिधियों को कौंसल के प्रतिनिधियों को अपना परिचय और मामले की जानकारी देनी चाहिए। वाणिज्य दूतावास (कौंसुलेट) से संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हर कौंसुलेट के अपने कुछ नियम और विनियम होते हैं जिनके तहत वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। NGO प्रतिनिधियों का उक्त प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ों से परिचित होना ज़रूरी है। NGO प्रतिनिधियों को वापसी की प्रक्रिया को आरंभ से अंत तक पूरा करने के लिए CWC और कौंसुलेटों के बीच एक संपर्क का कार्य करना चाहिए।
2. NGO प्रतिनिधियों को यह अनुरोध करना चाहिए कि CWC गृह अध्ययनों का आदेश दे और, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी हो जाने पर, गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर वापसी का आदेश जारी करें।

[110] योजना यहाँ उपलब्ध: <http://labour.gov.in/sites/default/files/OM_CSS_Rehab_BL_2016.pdf>

3. NGO प्रतिनिधियों को गृह अध्ययन के संचालक NGO से भी संबंध बनाने चाहिए। NGO प्रतिनिधियों को विश्वसनीय संगठनों डेटाबेस बनाकर रखना चाहिए और CWC से यह संस्तुति करनी चाहिए कि गृह अध्ययन के संचालन और वापसी में सहायता के लिए वह इन संगठनों से संपर्क करे।

अंतरराष्ट्रीय वापसी के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज़: निम्नलिखित एजेंसियों से निम्नलिखित दस्तावेज़ चाहिए होते हैं:

- राष्ट्रीयता का सत्यापन – मूल देश
- वापसी का आदेश और सहमति पत्र – गृह मंत्रालय, भारत
- अनापत्ति प्रमाणपत्र – महाराष्ट्र में महिला एवं बाल विकास विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, DWCD) के ज़िला कार्यालय और राज्य कार्यालय
- यात्रा दस्तावेज़ – मूल देश
- रिहाई आदेश – देखभाल गृह
- यात्रा हेतु स्वीकृति की अधिसूचना – विदेशी पंजी कार्यालय (फ़ॉरेन रजिस्ट्री ऑफ़िस), राज्य सरकार
- भारत छोड़ने की अनुमति – भारत सरकार
- मूल देश से मूल देश में पुनः प्रवेश की अनुमति लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि बचाए गए व्यक्ति का देश उसे अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है तो भारत सरकार उस व्यक्ति की वापसी के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकती है। NGO यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि मूल देश बचाए गए व्यक्ति की राष्ट्रीयता को मान्यता दे सके और उसकी वापसी की अनुमति देने पर सहमत हो जाए।

NGO को सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की प्रतियाँ माँगनी चाहिए। NGO को सभी संबंधित पक्षों को बचाए गए व्यक्ति के बारे में ज़रूरी जानकारी देनी चाहिए।

चरण 7 सरकारी पात्रताओं तक पहुँचना सुगम बनाना

समयसीमा: सरकारी पात्रताओं तक पहुँचना सुगम बनाने की प्रक्रिया में 12 माह तक लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को नक़दी (बंधुआ श्रम और वेश्यालय आदि से बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास के लिए हाल ही में नवीनीकृत CSS-2021 के तहत ₹3,00,000.00) और ग़ैरनक़दी घटकों जैसे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि से संबंधित सरकारी पात्रताओं, और अन्य पात्रताओं तक पहुँचने में अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए।	यदि उक्त सरकारी पात्रताओं से अनुचित ढंग से मना कर दिया जाए तो अधिवक्ता को सरकारी एजेंसियों से उक्त पात्रताएँ प्रदान करने की प्रार्थना करने में NGO और CSE पीड़ितों को क़ानूनी सहायता देनी चाहिए।
व्याख्या	
NGO पीड़ितों को सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने में मदद देने में एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। NGO को अधिवक्ता से सरकारी पात्रताएँ पाने के बारे में पीड़ितों को प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध करना चाहिए।	अधिवक्ता को बचाए गए व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में और उपलब्ध संसाधनों तक पहुँचने के रास्तों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

सरकारी पात्रताएँ नियमावली: सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने की विस्तृत, चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका के लिए, इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन की वेबसाइट https://www.eha-health.org/downloads/category/9-advocacy-manuals[111] पर पक्षधरता नियमावलियाँ (Advocacy Manuals) देखें।

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, LSA): यदि NGO कुछ सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने में बचाए गए व्यक्ति की सहायता करने में विफल रहता है, तो NGO और बचाया गया व्यक्ति स्थानीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के कार्यालय से मुफ़्त क़ानूनी सहायता ले सकते हैं।
विधिक सेवाएँ प्राधिकरण की भूमिका के बारे में और जानने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण की वेबसाइट http://nalsa.gov.in/actrules.html पर विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पढ़ें।

चरण 8 निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना

समयसीमा: सरकारी पात्रताओं तक पहुँचना सुगम बनाने की प्रक्रिया में 12 माह तक लग सकते हैं।

NGO
निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाने की प्रक्रिया में तीन माह से से एक वर्ष तक का समय लग सकता है।
व्याख्या
NGO प्रतिनिधि ऐसे भागीदार संगठनों और संबंधित हितधारकों जो वैकल्पिक आजीविका, अंतरिम आश्रय, दस्तावेज़, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य सहायताओं की प्राप्ति में मदद के रूप में विशेषज्ञ देखभाल प्रदान कर सकते हैं, से संबंध स्थापित करके निजी सुविधाओं तक पहुँचना सुगम बना सकते हैं।

चरण 9 पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

समयसीमा: पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में दो वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है।

NGO	अधिवक्ता
NGO को पीड़ितों का पुनः मानव व्यापार रोकने और उनका पुनः एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जानकारी और दस्तावेज़ सरकारी अधिकारियों को प्रदान करने में उनके साथ निकटता से कार्य करना चाहिए। NGO को आवश्यकतानुसार समय-समय पर आवश्यक फ़ॉलो अप करना चाहिए। बचाए गए पीड़ितों को उनके कल्याण लाभ और क्षतिपूर्ति मिले यह सुनिश्चित करने के लिए NGO को परिवार के आकलन करने चाहिए, हर पीड़ित की परिस्थिति के अनुसार अलग उपचार योजना तैयार करनी चाहिए, और ज़िला प्रशासन के साथ समीपता से कार्य करना चाहिए। NGO को पीड़ितों को उनके अपने-अपने अलग बैंक खाते खोलने में भी मदद देनी चाहिए क्योंकि सरकारी क्षतिपूर्ति के चेक इन्हीं खातों में जमा होते हैं।	अधिवक्ता को पीड़ितों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में मदद देकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने अधिकार जानें और उनका पुनः मानव व्यापार न होने पाए।

[111] इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन द्वारा विकसित और हाल ही में JVI द्वारा अपडेट की गई।

JVI JUSTICE VENTURES INTERNATIONAL